भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या -116

(जिसका उत्तर गुरुवार, 12 दिसंबर, 2013/21 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया गया)

<u>अनप्रयुक्त अधिशेष पूंजी</u>

***116. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 117 बड़ी सरकारी और निजी कंपनियों के पास अधिशेष पूंजी अनप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त में से श्रेणी-वार सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां कितनी-कितनी हैं;

(ग) मार्च, 2013 तक इन दोनों क्षेत्रों की कंपनियों के पास कुल कितनी अधिशेष पूंजी अनप्रयुक्त पड़ी हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में उक्त पूंजी के निवेश के संबंध में क्या निर्देश जारी किए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री सचिन पायलट)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

<u>अनप्रयुक्त अधिशेष पूंजी के संबंध में दिनांक 12.12.2013 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 116 के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) से (घ): “अधिशेष पूंजी” को न तो कंपनी अधिनियम, 2013 (या कंपनी अधिनियम, 1956) और न ही कंपनी अधिनियम के अनुसरण में विहित लेखांकन मानकों में परिभाषित किया गया है। कंपनियों के तुलन-पत्र अथवा अन्य वित्तीय विवरण भी “अधिशेष पूंजी” को नहीं दर्शाते हैं। इसलिए इस शीर्ष के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

*****